Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:14 Issue:2 February 2018
ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC Approval Number 63012

# स्वतंत्रता आंदोलनः सरदार भगत सिंह व महात्मा गांधी का योगदान

डॉ. विश्वजीत सिंह,
सहायक प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, पूण्डरी (कैथल)
rana.vishavjeet@gmail.com

**DECLARATION:** I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/ OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

हमारे स्वतंत्रता–आंदोलन का इतिहास, जिसके विषय में कहा जा सकता है कि वह 1857 से 1947 तक अर्थात् 90 वर्ष चलता रहा–एक मनोहारी एवं महत्तवपूर्ण कहानी है। इस आंदोलन का गठन बहुत से तंतुओं द्वारा हुआ हैः हिन्दु समाज सुधारक जैसे राजाराम मोहनराय, देवेन्द्रनाथ टैगोर केशवचन्द्र सेन बंगान में, महाराष्ट्र में एम. जी. रानाडे और भंडारकर और पंजाब में दयानन्द सरस्वती; एक बहुमुखी राजनीतिक क्रिया जो बड़े स्तर पर दो दलों में विभाजित हो गई–एक मॉडरेटस; जो संवैधानिक एवं शान्तिपूर्ण प्रगति में विश्वास रखते हैं जिनमें जी. के. गोखले, दादाभाई नौरोजी, सर फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और रासबिहारी बोस आदि; और दूसरे गण्यमान्य आतंकवादी व्यक्ति थे–लोकमान्य तिलक, श्री अरविन्द घोष, विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय। अंततः महात्मा गांधी के प्रतिनिधित्व में इन तीनों बिखरे तन्तुओं को एक सूत्र में बांधा गया जिससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन बड़ी तीव्रता से विजय–निष्कर्ष की ओर बढ़ निकला[1]। यह बात बड़े महत्व की है कि जहां महात्मा गांधीजी को एक अटल प्रतिबद्धता के अनुसार अहिंसा ने आंदोलन के अंतिम समय एक सार्थक 'रोल' अदा किया था, वहां उग्रवादियों तथा विप्लवकारियों ने कभी भी उनके विचारों को न अपनाया। वास्तव में श्री अरविन्द घोष ने स्पष्ट रूप से विदेशी सरकार की कठोरता के विरूद्ध युद्ध के लिए हिंसक कार्यवाहियों की वकालत की।

भगतसिंह पंजाब के उन शूरवीरों में से एक हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की वेदी पर प्राणों की आहुति दी। भले ही उनका राजनैतिक जीवन बहुत छोटा था, फिर भी वह अनेक पंजाबियों को अपनी उच्च भावना एवं राष्ट्र के लिए जीवनार्पण के ढंग के कारण जो कि एक उच्चतर तथा पवित्र कार्य के लिए आत्म–बलिदान ही है, प्रसिद्धता एवं लोकप्रियता में पीछे छोड़ गये, जो कि उन्हें जीवन भर प्रिय और पवित्र लगता रहा। उनके बलिदान की प्रकृति को यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। पंडित जवाहरलाला नेहरू ने भी एक बार कहा–''क्या कारण है कि

Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:14 Issue:2 February 2018
ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC Approval Number 63012

यह नवयुवक अचानक ही इतना लोकप्रिय हो गया है?'' उसका कारण नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा दिल्ली में मार्च, 1931 को दिये गये भाषण से स्पष्ट है कि ''भगतसिंह आज एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। उसने विद्रोह–चेतना को प्रकट किया।'' इस प्रकार भगतसिंह ने समय की लोकभावना का प्रतिनिधित्व किया और यही भगतसिंह का भारतीय इतिहास को योगदान है।

भगतसिंह का क्रांतिकारी जीवन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक आकाशदीप का प्रतीक है। वे एक असाधारण दृष्टि एवं ऊर्जायुक्त नवयुवक थे जिसने गुलाम भारत की आत्मा को झकझोरा और विश्व की महानतम साम्राज्यवादी शक्ति को चेतावनी दी। वे एक सच्चे एवं उत्कृष्ट देशभक्त थे। उन्होंने अपनी भारत माता को स्वतंत्र करवाने के लिए जो निर्भयतापूर्ण बलिदान दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन नवयुवकों में एक नवीन चेतना एवं उत्साह भर गया। स्वतंत्र भारत इसके लिए उनका अत्यधिक ऋणी है और उनके पराक्रम युक्त कार्यों को कभी नहीं भुला सकता। अपने अद्वितीय देश–प्रेम एवं बलिदान द्वारा उन्होंने अपने समकालीन भारतीय नवयुवकों के समक्ष अतीव निराशा को छिटककर राष्ट्र सम्मान एवं उज्ज्वल पथ का निर्माण किया।

उनके जन्म के समय, उनके पिता सरदार किशनसिंह भूमि सुधार आंदोलन के सम्बन्ध में सैन्ट्रल जेल में कैद काट रहे थे और उनके चाचा देश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण बर्मा की मान्डले जेल में सजा भुगत रहे थे। ऐसे क्रांतिकारी पारिवारिक वातावरण में स्वाभाविक ही था कि भगतसिंह बचपन से ही देश–प्रेम की भावनाओं से ओत–प्रोत हो जाते। बचपन से ही उनका पूरा का पूरा वातावरण और वह स्वयं अपने आपको उस महान् बलिदान के लिए तैयार कर रहा था जिसका उदाहरण इतिहास में कम ही उपलब्ध होता है[3]। कोई भी वैयक्तिक एवं प्राणी की सुख–सुविधा उसे अपने चुने हुए मार्ग से भ्रष्ट नहीं कर सकती थी। इस कारण जब पूरे परिवार ने भगतसिंह पर विवाह करवा लेने का दबाव डाला तो उन्होंने ऐसे सुझाव को अस्वीकार कर दिया। उस समय वह बी.ए. के ही विद्यार्थी थे। पर, फिर भी जो उत्तर उन्होंने अपने पिता को लिखा उसे ज्ञात होता है कि अपने बलिदान से भी पूर्व कैसे भगतसिंह अपने आपको देश के प्रति अर्पित करने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने लिखाः ''विवाह का समय नहीं, देश मुझे बुला रहा है। मैंने राष्ट्र की तन–मन–धन से सेवा करने की सौगन्ध ली हैं . . .। कृपा करके मुझे बन्धन में मत जकड़ें बल्कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने आदर्श में सफल होऊँ।''

## सिक्ख धर्म में अटूट आस्था

भले, अपने क्रांतिकारी जीवन की आवश्यकताओं के कारण सरदार भगतसिंह को सिक्ख धर्म की मर्यादा से हटकर एक अवसर पर अपने केशों को कटवाना भी पड़ा, परंतु संत रणधीर सिंह के जेल से

Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:14 Issue:2 February 2018
ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC Approval Number 63012

लिखे गए पत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शहीद भगतसिंह का सिख–धर्म में दृढ़ विश्वास एवं आस्था अंत तक स्थिर बनी रही। वास्तव में उन्होंने अपनी फाँसी से कुछ मास पूर्व पुनः सिख मर्यादा के अनुसार केश धारण कर लिए थे। इसका अभिप्राय कदापि यह नहीं कि भगतसिंह के मन में किसी अन्य धर्म के प्रति द्वेष की भावना थी बल्कि यह कि वह अपने धर्म, मर्यादा पर अन्तर्मन से गर्व करते थे और उस पर उनकी पूरी आस्था थी। एक महान् राष्ट्रवादी बनने के लिए यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति अपने पितृ धर्म से विमुख हो, बल्कि प्रत्येक धर्म की पवित्र परम्पराओं को अजर–अमर बनाये रखना, निश्चय ही अपने देश के सम्मान एवं देश के निवासियों के प्रति पूर्णरूपेण श्रद्धा एवं भक्ति के लिए प्रेरित करता है[4]। 7 अक्तूबर 1930 को, जब कि विशिष्ट ट्रिब्यूनल ने दण्ड की घोषणा की तो उस समय भगतसिंह अदालत में उपस्थित नहीं थे। इसलिए सरकारी वकील सुपरिण्टेण्डेण्ट के साथ जेलों की बैरकों में जहां भगतसिंह और उनके अन्य साथी बैठे थे, दण्ड सुनाने के लिए आया। भगतसिंह को सम्बोधित करते हुए उसने कहा ''सरदार भगत सिंह बड़े दुख की बात है कि अदालत ने आपको मृत्यु दण्ड दिया है।'' भगतसिंह ने उत्तर दिया कि दुःख प्रकट करने की आवश्यकता नहीं और वह पहले ही यह सब सुन चुका है।

उस समय के दौरान भगतसिंह के माता–पिता आये और उससे कई बार भेंट की। 3 मार्च 1931 को, भगतसिंह फाँसी लगने से पूर्व उनकी अंतिम भेंट हुई जो कि बड़ी रूचिकर है और यहां वर्णनीय है। सरदार किशन सिंह के साथ सारा परिवार दादा–दादी, चाची और मामा–मामी सहित सभी आये थे। अपने पिता को देखकर भगतसिंह कोठड़ी की सीखचों के पास आया। उसके पिता किशन सिंह ने उसे सीखचों के बाहर से ही प्यार किया। बीबी अमर कौर, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, भगत सिंह की छोटी बहिन और भाई भी उसे मुस्कुराते हुए मिले। भगतसिंह की माता उसे सब के अंत में मिली। और अपने भागांवाले को प्यार किया । प्यार करते हुए उसने भगतसिंह को कहा, 'बेटा, हठ मत छोड़ना। एक दिन तो मरना ही है, पर मरना वह जिसे पूरा विश्व याद करे और रो उठे। मैं खुश हूं कि मेरा पुत्र उच्च एवं अच्छे कार्य के लिए अपना बलिदान दे रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर मेरा पुत्र 'इन्कलाब जिंदाबाद' के नारे लगाये। तुम्हारा काम बढ़ना चाहिए न कि घटना चाहिए[5]।'' वायसराय तथा अंग्रेजी सरकार को लाखों लोगों द्वारा हस्ताक्षरों सहित सजा बदलने के लिए स्मृति–पत्र भेजे गए। समाचार–पत्रों के पृष्ठों के पृष्ट उनकी रिहाई के लिए निवेदन से भरे होते थे। ब्रिटिश–मंत्रियों और वायसराय को लाखों की संख्या में तारें भेजी गई। यहां तक कि हाउस ऑफ कॉमनज के कुछ सदस्यों ने भी वायसराय को उनकी सजा बदलने के लिए निवेदन किया, जिसका कि उन द्वारा लण्डन से भेजी गई एक तार से पता चलता है कि जो 6 मार्च 1931 को रात के 7:55 पर भारत में पहुंची।

Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:14 Issue:2 February 2018
ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC Approval Number 63012

**भगतसिंह की फांसी की सजा रोकने के लिए महात्मा गांधी के प्रयास**

महात्मा गांधी ने भी तत्कालीन वायसराय लार्ड़ इरविन से 1931 के ऐतिहासिक 'गांधी–इरविन समझौते' से पूर्व फरवरी–मार्च 1931 में हुई बातचीत में भगतसिंह, राजगुरू तथा सुखदेव की सजा बदलने का प्रश्न उठाया, परंतु वायसराय इससे सहमत न हुआ। भले उसे ऐसा करने का पूरा–पूरा अधिकार था, उसने इस विषय में विवशता प्रकट की। महात्मा गांधी ने इसे समझौते की शर्त न बनाया, क्योंकि उनके विचारानुसार यह देश के वृहत्तर हितों के लिए आवश्यक नहीं था। इस सम्बंध में महात्मा गांधी ने अपनी 'यंग इण्डिया' में लिखा–''मैं इस सजा के परिवर्तन को समझौते की शर्त बना लेता, पर यह न हो सकां . . । कार्यकारिणी समिति मुझसे सजा के परिवर्तन को समझौते की शर्त न बनाने में सहमत थी। अतः मैं केवल इसका जिक्र ही कर सका।'' यह स्पष्ट है कि यदि महात्मा गांधी चाहते तो हठ से शर्त को स्वीकार करवा सकते थे, परंतु इसके स्थान पर उन्होंने वायसराय को यह चेतावनी देना उचित समझा कि यदि इन नवयुवकों को फांसी पर चढ़ना ही है तो इन्हें कराची के अधिवेशन से पूर्व ही फांसी पर चढ़ा दिया जाये तो बेहतर है।'' ऐसे नेता से आशा की ही नहीं जा सकती थी जो भगतसिंह और उनके साथियों की प्राण–रक्षा कर सकता। यहां यह वर्णन अनुचित न होगा कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नेताओं के साथ इस सम्बंध में, कि इन तीन वीरों की उनकी फांसी के बाद कोई यादगार बनाई जाए सहयोग देने तक को इंकार कर दिया[6]।

गांधी–इरविन समझौता 5 मार्च, 1931 को हुआ, जिसके अनुसार हिंसक कार्यवाहियाँ करने वालों, दूसरे शब्दों में क्रांतिकारियों के अतिरिक्त सभी राजनैतिक अभियुक्तों को रिहा किया जाता था। भगतसिंह के प्रति गांधी जी के व्यवहार के सम्बंध में आजाद हिन्द फौज के जनरल मोहनसिंह लिखते हैंः वह (महात्मा गांधी) भगतसिंह को फांसी चढ़ने से बचा सकते थे यदि उन्होंने इस राष्ट्रीय वीर की रिहाई को एक राष्ट्रीय प्रश्न बना लिया होता तो पूरा राष्ट्र कुर्बानी के लिए तैयार था। इससे वह (महात्मा गांधी) भगतसिंह तथा उसके साथियों को बचा सकते थे। . . परंतु वह अपनी अहिंसावादी विचारधारा की झूठी प्रतिष्ठा को न त्याग सके, क्योंकि भगतसिंह के छूटने से क्रांतिकारी नेताओं में दृढ़ता आ जाती और यह वह तथ्य था जिसे महात्मा गांधी सहन न कर सकते। 1931 के गांधी–इरविन समझौते का, जिसमें भगतसिंह तथा उसके साथियों जैसे देशभक्तों की रिहाई की कोई शर्त नहीं थी, देश भर की प्रगतिवादी शक्तियों ने खण्डन, 'एक विश्वास घात' कहकर किया। स्वतंत्रता के लिए कार्यवाही सम्बंधी बम्बई समिति के लिए जिसमें कांग्रेस वर्कर यूथ लीग वाले, ट्रेड यूनियन वाले तथा अकाली दल के सदस्य शामिल थे, इसका 'विश्वासघात' कहकर खण्डन किया। बम्बई के 'द फ्री प्रेस जनरल' ने इसका खण्डन यूं किया–'कांग्रेस कार्यकारिणी पर विश्वासघात तथा पराजय स्वीकार करने

Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:14 Issue:2 February 2018
ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC Approval Number 63012

के अपराध का आरोप लगाया जा सकता है।'' कांगेस के भगतसिंह की मौत की सजा को कम करवाने में सफल न होने पर लोगों की भावनायें निम्नलिखित पत्रकों से पता चलती हैं, जो महात्मा गांधी द्वारा दिल्ली में 7 मार्च 1931 को अर्थात् समझौता होने के दो दिन बाद, रखी गई मीटिंग में श्रोताओं के बीच बांटे गये[7]।

**समाजवादी व्यवस्था के समर्थक**

महात्मा गांधी की रोषपूर्ण चेतावनी के अनुसार, जिसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है, सरकार ने तीनों नवयुवकों को फांसी पर चढ़ाने की तिथि 23 मार्च 1931 निश्चित की। यह फैसला पंजाब सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को एक तार द्वारा भेजा गया। 'भगतसिंह' राजगुरू तथा सुखदेव को 23 मार्च को सायं 7:00 बजे फांसी दी जाएगी। भगतसिंह न केवल एक प्रथम कोटि के देशभक्त ही थे, बल्कि समाजवाद के उत्कट समर्थ भी थे और वह समाज के वर्तमान ढ़ांचे को बदलना चाहते थे। यहां तक कि उस जज, जिसने असेम्बली केस की अपील सूनी, को यह स्वीकार करना पड़ा, जब उसने फैसला देते हुए कहा, 'यह कहना अनुचित न होगा कि वे (भगतसिंह और दत्त) समाज के वर्तमान ढ़ांचे को बदलने के लिए सच्चे दिल तथा उत्कट इच्छा से प्रेरित हो चुके थे।' उनके लिए आर्थिक समृद्धता के अभाव में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ शुन्य था। यही कारण है कि उन्होंने तथा उनके साथियों ने एक समाजवादी गणतंत्र को अपने आदर्शों के रूप में अपनाया और इस तरह भारत में समाजवादी आंदोलन का मार्ग तैयार किया। वह एक नये सामाजिक ढ़ांचे की स्थापना करना चाहते थे जो न्याय पर आधारित हो तथा जिसमें कामगारों और कृषकों के अधिकार सुरक्षित हों। वह श्रमिकों को समाज का वास्तविक आधार मानते थे। इसीलिए वह वर्तमान सामाजिक ढ़ांचे को बदलना चाहते थे। और जिसके लिए राजकीय शक्ति की प्राप्ति आवश्यक है। आज 'राज्य संगठन' विशिष्ट अधिकार युक्त वर्ग के हाथ में है। जनमत के हितों की रक्षा, अपने आदर्शों को वास्तविकता में बदलने तथा कार्लमार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार समाज की नींव रखना, इस 'संगठन' को अपने हाथों में लेने की मांग करता है।

इस प्रकार का सम्पूर्ण परिवर्तन वह क्रांति द्वारा लाना चाहता था। न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्रांति से वह क्या समझते हैं, उन्होंने घोषणा की, ''क्रांतिकारी में न तो घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान है, न उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिरोध लेने की ही गुंजाइश है। क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा प्रयोजन यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। पुनः अपने विचारों को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा, ''क्रांति से हमारा प्रयोजन अंततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसको इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभुता को मान्यता दी जाए। इसका परिणाम यह

Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:14 Issue:2 February 2018
ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC Approval Number 63012

होगा कि विश्व संघ मानव–जाति को पूंजीवाद के बंधन तथा युद्ध से उत्पन्न होने वाली बरबादी और मुसीबतों से बचा सकेगा।'' भगतसिंह के लिए क्रांति, मानव–जाति का जन्मजात अधिकार था। उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल री आसफअली के विचारानुसार भगतसिंह साम्यवाद से प्रतिबद्ध नहीं था परंतु उसकी राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याओं से सम्बंधित पहुंच निश्चित रूप से मार्क्स की मानवीय समाज की समाजवादी व्यवस्था की धारणा से ली गई थी[8]।

## राष्ट्रीय आंदोलन को देन

भगतसिंह और उनके साथियों द्वारा स्थापित 'हिन्दुस्तान गणतंत्र संघ' तथा 'नौजवान भारत सभा' की ओर से चलाये गये आंदोलन की सीमा एवं क्षेत्र भले ही कितने सीमित हों, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को तीव्र अवश्य किया, भले इसके लिए उन्हें कोई भी मार्ग अपनाना पड़ा[9]। 1914–15 के गद्दरियों के पश्चात् भगतसिंह और उनके साथी पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के चैम्पियन थे। नौ–जवान भारत सभा तथा हिन्दुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ ने पूर्ण स्वतंत्रता का नारा 1925–26 में बुलंद किया। सितम्बर 1928 में हिन्दुस्तान गणतंत्र संघ की फिरोजशाह कोटला में हुई मीटिंग ने भारत के स्वतंत्र समाजवादी जनतंत्र के लिए लड़ने का मत पास किया। भगतसिंह और उनके साथियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए केवल नारा ही नहीं लगाया बल्कि इसकी प्राप्ति के लिए बलिदान भी दिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उनकी कार्यवाहियों ने कांग्रेज के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने तथा उसके विषय में मत पास करने अर्थात् दिसम्बर 1929 में लाहौर में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज्य' का मत पारित करने के लिए रास्ता बनाया।

काकोरी केस, साण्डर्स–वध केस, असेम्बली बम केस, लार्ड इरविन–भारत के वायसराय की गाड़ी पर बम फेंकना, भगतसिंह तथा उनके साथियों की जेल में भूख हड़ताल जिसका परिणाम जतिन्द्रनाथ दास की मौत के रूप में निकला आदि घटनाओं के कारण देश की स्थिति विस्फोटक हो गई थी। इसलिए कांगेस को भी अपनी कार्यवाही के ढंगों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़ा। तदानुसार ही उन्हें मार्च 1930 में सिविल आज्ञा भंग आंदोलन के बदले में शुरू किया गया था। इसका प्रमाण महात्मा गांधी द्वारा वायसराय को 2 मार्च, 1930 को लिखे गये पत्र से मिल जाता है। ''हिंसक पार्टी बल पकड़ती जा रही है और उसका अस्तित्व उभर रहा है।'' इससे आगे पत्र में फिर लिखा कि, ''अहिंसक आंदोलन जो सने चलाने का निर्णय किया था वह न केवल ब्रिटिश राज्य की हिंसक शक्ति, बल्कि बढ़ रहे हिंसक दल की संगठित शक्ति का भी मुकाबला करेगी।'' इस प्रकार यह सरदार भगतसिंह और उनके साथियों का ही कार्य था, जिन्होंने सिविल आज्ञाभंग आंदोलन के लिए मार्ग

तैयार किया। इसी में ही है भगतसिंह और उनके साथियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मार्गदर्शन किया[10]।

भगतसिंह न केवल एक प्रथम कोटि के देशभक्त ही थे, बल्कि समाजवाद के समर्थक भी थे और वह समाज के वर्तमान ढ़ांचे को बदलना चाहते थे। यहां तक कि उस जज, जिसने असेम्बली केस की अपील सूनी, को यह स्वीकार करना पड़ा, जब उसने फैसला देते हुए कहा, 'यह कहना अनुचित न होगा कि वे (भगतसिंह और दत्त) समाज के वर्तमान ढ़ांचे को बदलने के लिए सच्चे दिल तथा उत्कट इच्छा से प्रेरित हो चुके थे।' उनके लिए आर्थिक समृद्धता के अभाव में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ शुन्य था। यही कारण है कि उन्होंने तथा उनके साथियों ने एक समाजवादी गणतंत्र को अपने आदर्शों के रूप में अपनाया और इस तरह भारत में समाजवादी आंदोलन का मार्ग तैयार किया[11]। वह एक नये सामाजिक ढ़ांचे की स्थापना करना चाहते थे जो न्याय पर आधारित हो तथा जिसमें कामगारों और कृषकों के अधिकार सुरक्षित हों। वह श्रमिकों को समाज का वास्तविक आधार मानते थे। इसीलिए वह वर्तमान सामाजिक ढ़ांचे को बदलना चाहते थे। और जिसके लिए राजकीय शक्ति की प्राप्ति आवश्यक है। आज 'राज्य संगठन' विशिष्ट अधिकार युक्त वर्ग के हाथ में है। जनमत के हितों की रक्षा, अपने आदर्शों को वास्तविकता में बदलने तथा कार्लमार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार समाज की नींव रखना, इस 'संगठन' को अपने हाथों में लेने की मांग करता है।

1. सुधीर वत्स, **''भगत सिंह होने का मतलब''**, मुद्राराक्षस, 2008, पृष्ठ नं. 4, दिल्ली
2. सत्य शकुन, **''शहीदे आजम भगत सिंह''**, सन्मार्ग प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ नं. 36
3. मन्मथनाथ गुप्त, **''क्रांति–दूत भगतसिंह और उनका युग''**, लिपि प्रकाशन, दिल्ली, 1972, पृष्ठ नं. 22
4. हंसराज रहबर, **''भगतसिंह एक जीवनी''**, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1988, पृष्ठ नं. 71
5. विश्वनाथ मिश्र, **''शहीदेआज़म की जेल नोटबुक''**, परिकल्पना प्रकाशन, लखनऊ, 1999, पृष्ठ नं. 41
6. वीरेन्द्र सिन्धु, **''भगतसिंह पत्र और दस्तावेज''**, दिल्ली, 1983, पृष्ठ नं. 60
7. देवेश चन्द्र, **''जेल से लिखे गए पत्र एवं अन्य लेख''**, नेशनल बकु ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 1997 पृष्ठ नं. 11
8. हंसराज रहबर, **''भगतसिंह एक ज्वलंत इतिहास''**, दिल्ली, 1996, पृष्ठ नं. 37
9. विकास नारायण राय, **''भगतसिंह से दोस्ती''**, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ नं. 78
10. **''शहीद भगतसिंह की जेल डायरी''**, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़, 2008, पृष्ठ नं.3
11. कुलतार सिंह, **''भगतसिंह के सम्पूर्ण दस्तावेज''**, पंचकूला, हरियाणा, 2004, पृष्ठ नं. 103

## Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/ Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification.

I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

डॉ. विश्वजीत सिंह

*****